JALAUN POLICE

दिनांक –29.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– वादी श्री किशोरी लाल पुत्र विश्वनाथ लोधी नि0 ग्राम कुसमिलिया थाना डकोर जनपद जालौन द्वारा थाना डकोर में तहरीरी सूचना दी गयी थी कि दिनांक 15.01.2006 अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र को अपने जानवर वाले मकान में ले जाकर मार देना व सडक के किनारे खन्ती में फेंक देना। वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 24.03.2006 को थाना डकोर पर मु0अ0सं0 62/2006(वाद संख्या 117/2006) धारा 302 भादवि बनाम 1- स्वामीदीन पुत्र नाथूराम(मृतक) 2- श्याम सुन्दर उर्फ सुल्ला पुत्र स्वामीदीन लोधी 3- श्रीमती रामरती उर्फ खरका वाली पत्नी स्वामीदीन नि0 ग्राम कुसमिलिया थाना डकोर जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान उक्त अभियोग में धारा 364/201 भादवि की बढोत्तरी की गयी। थाना डकोर पुलिस द्वारा दिनांक 15.07.2006 को अभियुक्त श्याम सुन्दर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 04.10.2006 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 29.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 डकैती कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त श्याम सुन्दर उपरोक्त को दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती रामरती को दोष मुक्त किया गया है।